

#1484

क्र 50 1210

( राजस्थान पु-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 130 के अन्तर्गत )

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

पिनोपि रिजर्व

10.10.25

प्रकाशन गार्ड के संम-2021

राजस्व ग्राम दस्ता रि.ग्रा. पंमंगर, री.ग्रा. म.मि.म.भू.अ.नि.पु.ल. री.ग्रा.म.म.म. तहसील- कपासन दिनांक

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खत का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दिनांक
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	392	2	0.56 हे०	शेखी बाई पुत्र बीखा जाति - आट खाने देह	शेखी बाई पुत्री बीखा जाति - आट खाने देह	
	408	1	0.20 हे०			

मुताबिक मिसल/जमावन्दी संवत् १९७५-७६ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० पू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

दिनांक 10.10.25  
 ह० पटवारी  
 पंमंगर, री.ग्रा.म.म.म.

साविक राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खत में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं० हल्का अ.दे. की ब्या. नि.पु. गू० अ० नि० रि.ग्रा.म.म.म. की रिपोर्ट व साविक रिकार्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण यन्दीवरस्त संक्रियाओं के दस्तान/पूर्व या होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

पं० हल्का अ.दे. की ब्या. नि.पु. गू० अ० नि० रि.ग्रा.म.म.म. की रिपोर्ट व साविक रिकार्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमावन्दी में अमल किया जावे।

ह० राजस्व अधिकारी  
 10.10.25  
 तहसीलदार (पु.अ.)  
 तहसील कपासन जिला-द्वारा  
 कपासन जिला-द्वारा